

52 नं. - १९ दिसंबर २०२२  
U 6 SFP 7072



प्रपत्र-ख  
शपथ-पत्र

मैं, ..... पंकज कुमार ..... पिता/पति ..... श्री देवन्द्र पलाद .....

उम्र ..... 43 ..... वर्ष, \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर नियायत नगर निगम के वार्ड संख्या 25  
मोहल्ला आमशोला, पोस्ट रामना, धानलाली मुनिपालिटी ब्लॉक जिला मुनिपालिटी

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/क्षेत्री हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर नियायत नगर निगम के वार्ड संख्या 25 के \*पार्षद/\*उप मुख्य पार्षद/\*मुख्य परिषद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/हो हूँ:

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 को धारा 18 के उपवन्यों से पूर्णतः अवगत हूँ:

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 को धारा 18 के तहत \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर नियायत नगर निगम के वार्ड 25 के \*पार्षद/\*उप मुख्य पार्षद/\*मुख्य परिषद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के लिए अनहित नहीं हूँ:

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएं मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

पंकज कुमार  
अध्यक्ष का हस्ताक्षर

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - अंगिन्दीर मुमार

नाम- अंगिन्दीर मुमार

पता- श्रीरामसवान निवास पंखाटोली

मुनिपालिटी

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - श्री. नारायण

नाम- श्री. नारायण

पता- पंखाटोली, मटिजद से पाल

मुनिपालिटी नं. 1285

स्थान: मुनिपालिटी

लगातार .....

दिनांक : 16/09/2022

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिशनर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

Old roshni Ray  
Advocate  
En-526188 16/09/22

# राजस्थान आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अध्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुनिपपरपुर .....जिला के \*नगर निगम/\*मण्डलीय/\*नगर संचायत .....नगर निगम

के वार्ड संख्या .....25 ..... से \*पार्षद/\*उप प्रमुख पार्षद/\*प्रमुख पार्षद पद का निर्वाचन।

अध्यर्थी का नाम- पंकज कुमार ।

पिता/प्रति का नाम- श्री हेवेन्ट्र प्रसाद ।

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्धदण्ड से दंडित किये गये हैं- शून्य

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शून्य

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शून्य

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति-  
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित) शून्य

(iv) दिया गया दण्ड- शून्य

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शून्य

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शून्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? शून्य

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शून्य

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शून्य

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शून्य

(iv) यदि निष्पादित है, तो

(क) निष्पादन की तिथि- शून्य

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शून्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शून्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शून्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- शून्य

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं- शून्य

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शून्य

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्ण देश के भीतर या बाहर ऐसे किसी संज्ञान मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अभक्त सम्प्रय विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से न्याय की सज्जा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- मुक्त

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- मुक्त
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- मुक्त
- (iii) अपराध संख्या- मुक्त
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- मुक्त
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- मुक्त

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कोडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- मुक्त

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- मुक्त
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- मुक्त
- (iii) अपराध संख्या- मुक्त
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- मुक्त
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- मुक्त

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- मुक्त

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- 12 एकड़ा 10 पुर्ण ।  
नियमानुसार युला 12,50,000.00 होगा ।

(ii) शहरी भूमि- "मुक्त"

(iii) भवन- मुक्त

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमतः-

- (i) नकद  $40,000 = 00$  (ii) बैंक बैलेन्स ~~बैंक पायबुम मी छाया पत्री ।~~  
~~(पालीस हजार रुपया)~~ (बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)
- (iii) फिक्स डिपोजिट झूँय (iv) बॉण्ड, शेयर (SAHARA INDIA, LTD)  
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) (इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)
- (v) वाहन - हिरो हौण्ड स्पॉर्ट्स (vi) आभूषणों का विवरण अँगूठी-2  
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन (पूर्ण विवरण दें) कम्बला - 2 रुट  
पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें) गंडकाना - 2 रुट  
मंगलमूर्ति - 1 ढोलना - 1  
पापल - 2 जोड़ा गते नाड़ा - 1

6. \*\*(क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/  
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ  
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

झूँय

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

झूँय

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज  
के नाम के साथ अंकित करें - पंकज कुमार का शैक्षणिक योग्यता ।  
1 - मैट्रिक्स,  
2 - ईएस्टर,  
3 - स्नातक,  
4 - एम०बी०ए०।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान - झुन्यफॅर्म्यू ।

तिथि - 21/09/2022

पंकज कुमार  
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

\*\* वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेत्त्व टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने

की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।

की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।